प्रेषक,

गेन्दन लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 05 अक्टूबर, 2015

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 03 निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर 03 नये वाहन क्रय की प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1281/एस0-45/2015-16, दिनांक 26.08.2015 एवं संख्या-1535/एस0-45/2015-16, दिनांक 21.09.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के उपयोगार्थ निम्न विवरणानुसार 03 निष्प्रोज्य वाहनों के स्थान पर उनके सम्मुख अंकित 03 नये वाहनों के क्रय हेतु कुल रू0 24,50,121.00 (रूपये चौबिस लाख पच्चास हजार एक सौ इक्कीस मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0सं0	पुराने निष्प्रोज्य वाहन	क्रय हेतु प्रस्तावित नये वाहन	धनराशि रूपयों में
1	यू0आर0ए0-7291	बोलेरो	6,49,866.00
2	यू0आर0ए0-7224	बोलेरो	6,49,866.00
3	यू0एच0ई0-2972	इनोवा	11,50,389.00
		योग	24,50,121.00

2- उपरोक्त वाहनों के क्रय हेतु प्रस्तावित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के लेखाशीर्षक "2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-आयोजनेत्तर-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खनन प्रशासन की योजना की मानक मद-14-मोटर गाडियों का क्रय से वहन की जायेगी।

3- उक्त वाहनों का क्रय स्टोर परचेज/नियमों/शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

4- डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों की अनुमन्यता एवं उसकी वैधता, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ अपने स्तर पर पूर्व में वाहनों का क्रय नहीं किया गया है।

5- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त तीन निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर पूर्व में वाहनों का क्रय नहीं किया गया है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-554/दस/2015, दिनांक 30 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-3329(1)/86-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (आय नियंत्रण) अनुभाग-6
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/3
7. निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग) उ0प्र0 कानपुर।
8. अनुभागीय गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।